



योजना क्र. 114 राजीव आवास विहार में निर्मित सामान्य श्रेणी के आवासीय उपयोग के प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर लॉटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है:-

अ. क्र.	आवासीय प्रकोष्ठों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य (रु.लाख में)	अमानत राशि (रु. लाख में)
1	9	34.44 से 41.93 तक	11,93,500.00 से 15,29,500.00 तक	80,000.00

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	15-09-2026	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	05-10-2026	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर जाँचने का दिनांक एवं समय	06-10-2026	11:30 hrs. Onwards
4	पात्र आवेदकों की कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	14-10-2026	12:30 hrs.

नोट :-

- ☐ लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाइट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- ☐ लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदक पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन स्वयं के क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- ☐ आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठ का चयन ऑनलाईन करना होगा तथा पोर्टल पर स्व-प्रमाणित कर आधार कार्ड, शपथ पत्र एवं अन्य वांछित डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग कर अपलोड करना होगी।
- ☐ विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्राधिकारी वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ☐ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (पंजीयन राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में स्वयं के खाते से जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में स्वयं के खाते से जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ☐ आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- ☐ आवेदक को कब्जा प्राप्ति दिनांक से रहवासी संध द्वारा गठित समिति को बहुमंजिला भवन के कॉमन परिसर की हाउस किपिंग, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि कार्य हेतु संधारण की राशि जमा कराना अनिवार्य होगी।
- ☐ प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में श्री देव स्वरूप आर्य (9893699142) श्री हेमन्त उपाध्याय (मो. 9893699121) श्री आशिष पाल (9584555568) से संपर्क करें, अथवा प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।